कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर।

संख्याः– 1015 जे0ए0–नियुक्ति   दिनांक 09 दिसम्बर, 2020

प्रेस विज्ञप्ति

इस जनपद में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी/दीवानी/राजस्व) /नामिका अधिवक्ता (फौजदारी/दीवानी) के पद निम्नानुसार रिक्त हैः–

1.	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)	02 (दो पद)
2.	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)	01 (एक पद)
3.	नामिका अधिवक्ता (फौजदारी)	03 (तीन पद)
4.	नामिका अधिवक्ता (दीवानी)	03 (तीन पद)

शासनादेश संख्या–डी0–1052/सात–न्याय–3–19–54जी/2018 दिनांक 21.08.2019 के अनुपालन में उक्त रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु जो अधिवक्ता इच्छुक हो, वे अपना आवेदन पत्र निम्नलिखित रूप–पत्र में योग्यता आदि प्रमाण पत्रों सहित जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर के कार्यालय में अपना आवेदन पत्र **दिनांक 06.01.2021** तक न्याय सहायक, कलेक्ट्रेट सुलतानपुर के पटल पर प्रस्तुत कर सकते है। समीप जिलों के जिला सरकारी अधिवक्ता और विधि व्यवसायी जिला सरकारी अधिवक्ता के पद के लिए अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं कियें जायेंगें।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी/राजस्व/दीवानी) के पदों के लिए निर्धारित योग्यता 07 वर्ष तथा नामिका अधिवक्ता फौजदारी/दीवानी के पदो के लिए निर्धारित योग्यता 05 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव आवश्यक है। उक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु **60 वर्ष** से कम होनी चाहिए। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नाम और ऐसे विवरण दें, जैसे आयु, विधि वर्ग संस्था (बार) में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यतायें, पिछलें **तीन वर्षो** में विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा अदा किये गये आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो तो उनके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरणी यदि कोई हो **दो वर्षो** की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्य का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्योरा और यह सूचना कि क्या उन्होने अपराधिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी विधि कार्य किया है। नियुक्तियां निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक आबद्धता के रूप में की जायेगीं और राज्य सरकार को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये आबद्धता समाप्त करने का अधिकार होगा।

आवेदन पत्र दो प्रतियों में निम्न प्रकार प्रेषित किए जायेंगें:–

1. नाम, पिता का नाम तथा पता (बायोडाटा)।
2. शैक्षिक योग्यता (सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न किये जाये)।
3. जन्म तिथि (हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आदि की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाय)।
4. विधि व्यवसाय में कार्य की अवधि तथा अनुभव।
5. अधिवक्ता (एडवोकेट) बनने की तिथि।
6. किस कानून की वकालत करते है।
7. हिन्दी ज्ञान
8. विगत 2 वर्षो में न्यायालयों मे किये गये कार्यो का सत्यापित विवरण जिसमें सफलता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित हो।
9. आयकर भुगतान सम्बन्धी सूचना।

10. क्या कोई दूसरा पद अथवा सरकारी वकील/ओथ कमिश्नर, नोटरी, एमिकसक्यूरी (न्याय मित्र) आदि का पद धारण करते है, यदि हां तो कौन सा पद तथा आवेदित पद पर नियुक्ति हो जाने पर क्या उस पद से त्याग पत्र दे देंगें।
11. संलग्न प्रारूप ''क'' तथा ''.ख'' में विवरण।
12. अन्य कोई विशेष विवरण।
13. राजनीति में भाग लेने की दशा में उससे सम्बन्ध विच्छेद करने का अण्डरटेकिंग दिया जाय।
14. चरित्र/आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

(रवीश गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
सुलतानपुर।

संख्या व दिनांक : उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी विधायी, उ0प्र0 शासन, न्याय अनुभाग—3 (नियुक्तियां) लखनऊ को सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन, न्याय अनुभाग—3 (नियुक्तियां) लखनऊ को सूचनार्थ।
3. जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या/अम्बेडकर नगर/अमेठी/जौनपुर/प्रतापगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन जनपद अयोध्या/अम्बेडकर नगर/अमेठी/जौनपुर/प्रतापगढ़ को इस आशय से कि कृपया अपने जनपद के सभी अधिवक्तागण को विज्ञप्ति से अवगत कराने का कष्ट करें।
7. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन सुलतानपुर को इस आशय से कि कृपया सभी अधिवक्तागण को विज्ञप्ति से अवगत कराने का कष्ट करें।
8. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार जनपद सुलतानपुर को इस आशय से कि इस विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराएं।
9. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को 05 प्रतियों में इस आशय से कि उक्त का प्रचार—प्रसार निःशुल्क समाचार पत्रों के माध्यम से करायें।
10. ओ0एस0डी0—जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर।
11. नाजिर सदर,कलेक्ट्रेट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
सुलतानपुर।